Achievements in Last Eight Years

1. खनिज राजस्व आय

(अ) लौह अयस्क से प्राप्त रायल्टी राशि में अभूतपूर्व वृद्धि

छत्तीसगढ़ शासन के अथक प्रयासो के फलस्वरुप वर्ष 2009 में लौह अयस्क की रायल्टी मूल्य आधारित किये जाने से, लौह अयस्क खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है । वर्ष 2008–09 की तुलना में लौह अयस्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में लगभग 1700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

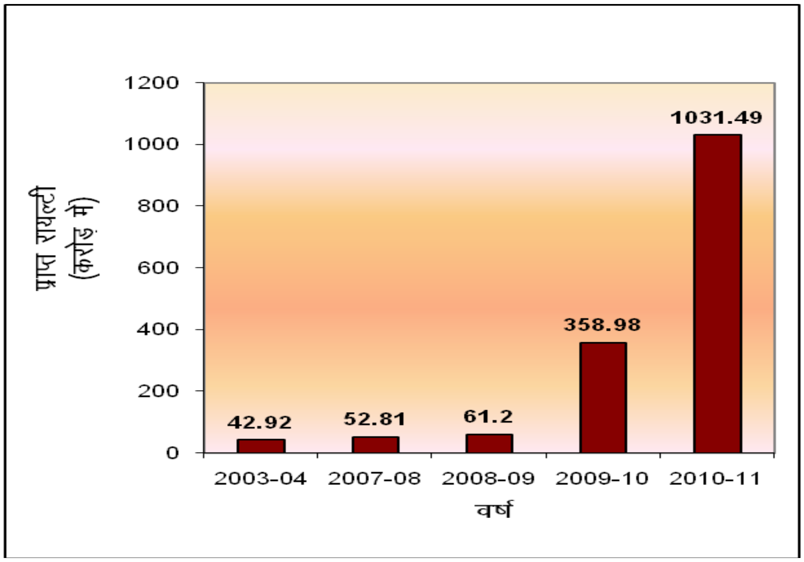

(ब) राज्य को खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि

विगत वर्षों में खनिजों से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । वर्ष 2007–08 में राज्य को 1028.38 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो वर्ष 2010–11 में बढ़ कर 2461.46 करोड़ हो गया । इस प्रकार विगत तीन वर्षों में राज्य को मिलने वाले खनिज राजस्व में लगभग 240 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

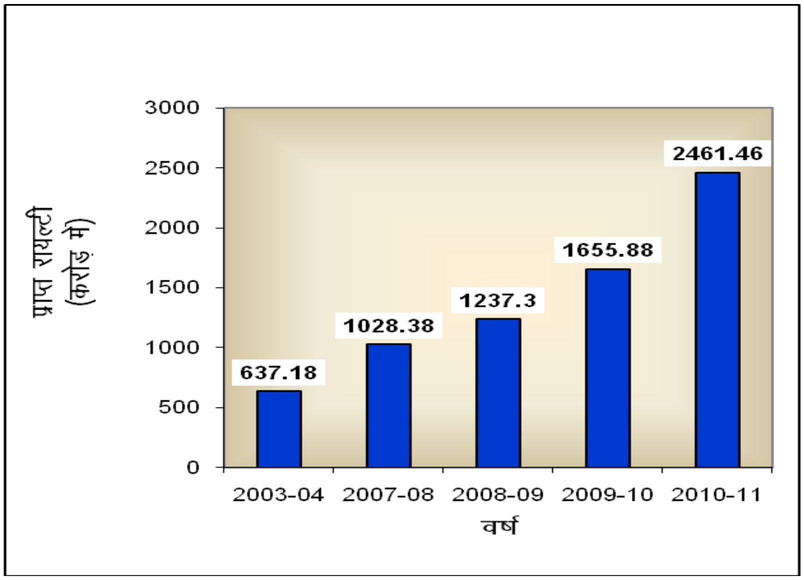

2. भारत में कोयले के उत्पादन में राज्य की बढ़ती भागीदारी

वर्ष 2003–04 में राज्य में 615.05 लाख टन कोयला का उत्पादन हुआ जो देश में कुल कोयला उत्पादन का 17 प्रतिशत था । वर्ष 2010–11 में माह फरवरी 2010 तक कोयले का उत्पादन बढ़ कर 1023.04 लाख टन हो गया, जो कि देश के इसी अवधि में कुल कोयला उत्पादन का 21.73 प्रतिशत है ।

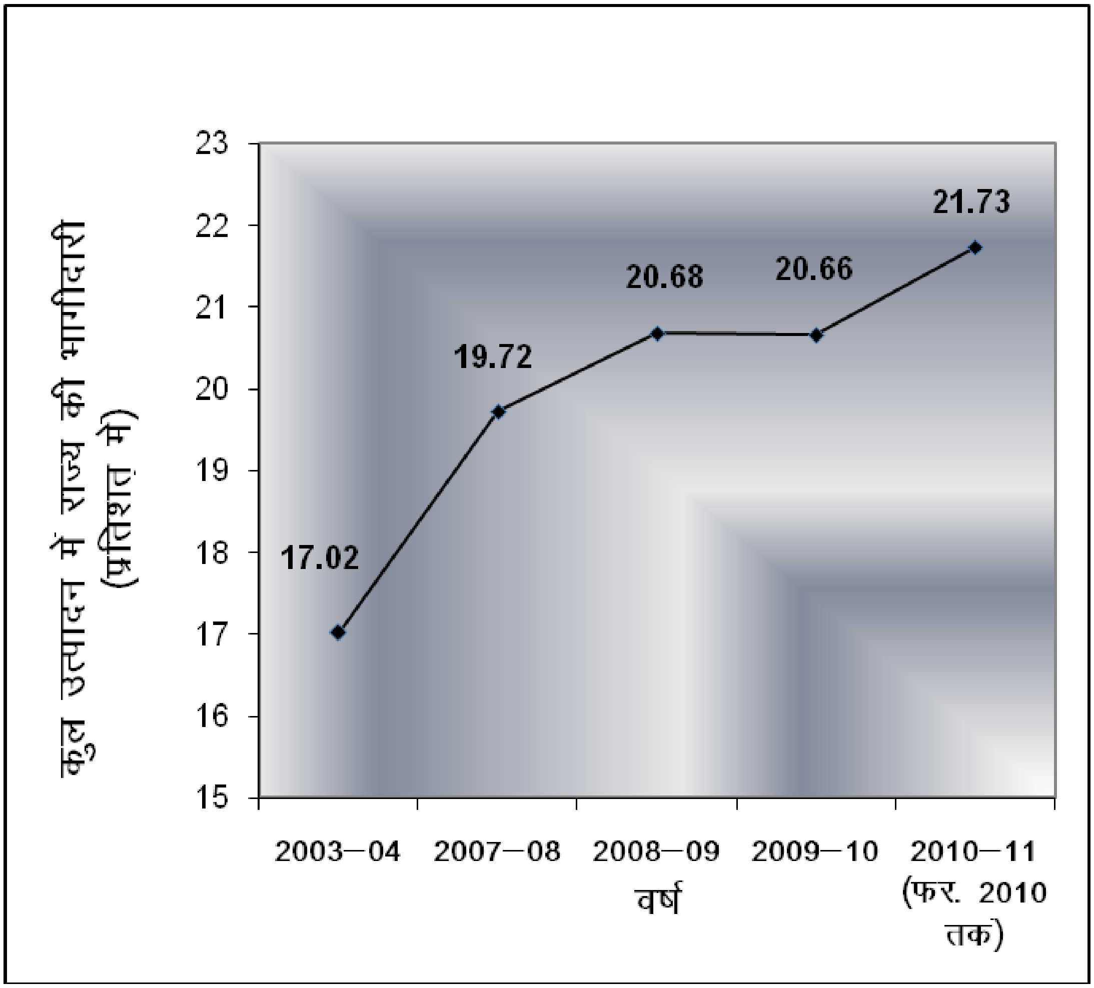

3. पंचायतों का सुदृढ़ीकरण

(अ) गौण खनिजों से प्राप्त रायल्टी राशि संपूर्णतः पंचायतों एवं स्थानीय निकायों को वितरित की जाती है । इस राशि का उपयोग खनन से प्रभावित संबंधित पंचायत / नगरीय निकाय क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण हेतु किया जाता है । विगत तीन वर्षों में पंचायतों एवं नगरीय निकायों को कुल 221.69 करोड़ रुपये प्रदाय किए गए हैं ।

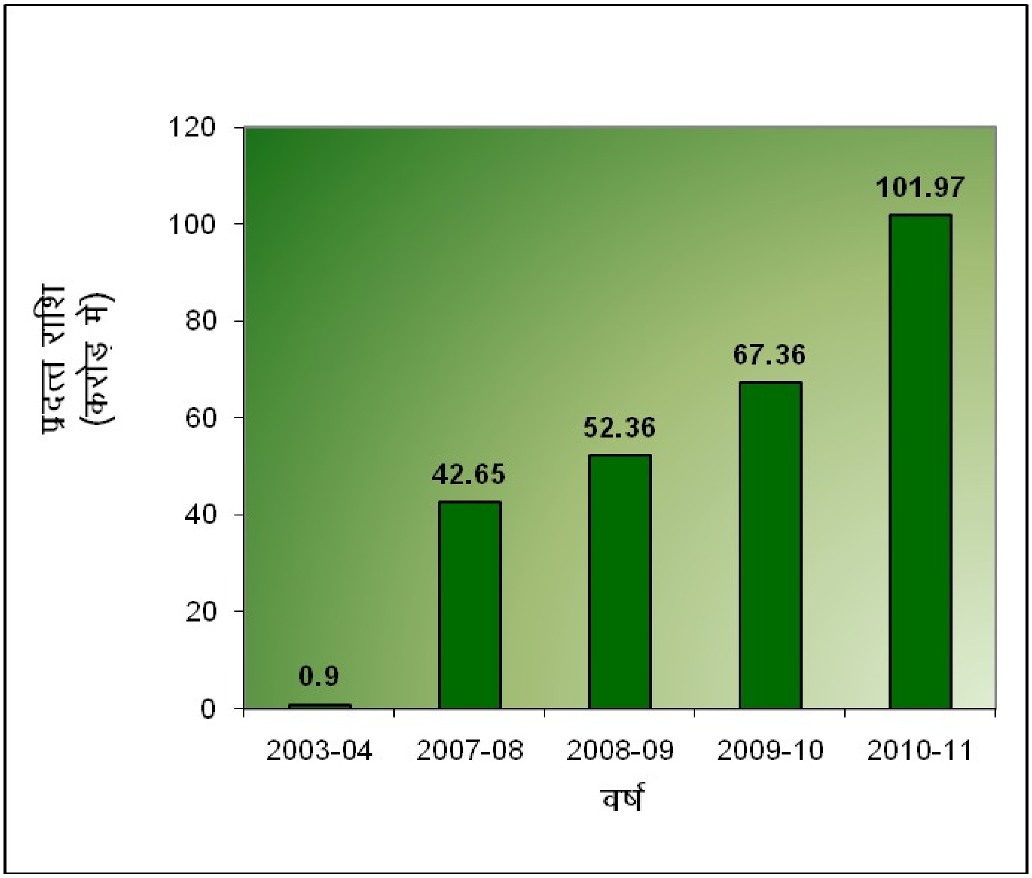

(ब) दिनांक 1.4.2006 से प्रदेश में गौण खनिज रेत के उत्खनन एवं व्यवसाय के सम्पूर्ण अधिकार ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत / नगरीय निकाय को दिये गये हैं।

(स) खनिजों के अवैध खनन एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही के व्यापक अधिकार पंचायतों को दिये गये है, जिसमें उन्हें अवैध कृत्य में संलग्न वाहनों एवं उपकरणों के अभिग्रहण सहित प्रकरण के प्रशमन के अधिकार भी शामिल है। इन प्रावधानों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए पोस्टर्स पंचायतों को वितरित किये गये है ।

4. खनिज अन्वेषण कार्यो के फलस्वरूप प्रदेश में चिन्हित खनिज भंडार

(मात्रा लाख टन में)

क्र.	खनिज का नाम	पांच वर्षों में चिन्हित भंडार (दिनांक 01.04.2003 से 31.03.2008)	तीन वर्षों में चिन्हित भंडार (दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2011)	कुल चिन्हित भंडार (दिनांक 01.04.2003 से 31.03.2011)
	चूना पत्थर	3271.73	720.19	3991.92
	बाक्साइट	233.16	14.56	247.72
	डोलोमाइट	27.70	–	27.70
	कोयला	3761	970	4731.00
	टिन (टन में)	4.00	–	4.00
	रोड मेटल	4.00	–	4.00
	लेपीडोलाइट	0.55	–	0.55
	लौह अयस्क	2787.36	162.24	2949.60
	सोपस्टोन	0.050	–	0.050
	क्वार्टजाइट	30	–	30.00
	क्ले	1.88	12	13.88
	ग्रेनाइट	–	0.75 (लाख घन मीटर)	0.75 (लाख घन मीटर)

5. टिन अयस्क क्रय से आदिवासियों को रुपये 5.09 करोड़ की आय

जिला दन्तेवाड़ा में आदिवासी सोसायटी के सदस्यों के माध्यम से टिन अयस्क का संग्रहण कर सीएमडीसी को विक्रय करने हेतु कानून में विशेष प्रावधान राज्य शासन द्वारा किया गया है । सदस्यों को टिन का बेहतर मूल्य दिये जाने के लिए राज्य शासन का उपक्रम छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा टिन के क्रय / विक्रय मूल्य का निर्धारण 'लंदन मेटल एक्सचेंज' के आधार पर किया जाता है । विगत तीन वर्षों में आदिवासियों की 58 समितियों के 951 सदस्यों से 135.70 टन टिन अयस्क खरीदा गया जिससे उन्हें रुपये 5.09 करोड़ की आय हुई ।

6. छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन

प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर राज्य शासन का यह उपक्रम, राज्य में लौह अयस्क, बाक्साइट, टिन, कोरण्डम, आदि महत्वपूर्ण खनिजों के व्यवसाय में संलग्न है, जिसमें शत–प्रतिशत पूंजी शासन की है । कार्पोरेशन को वर्ष 2007–08 में जहाँ रुपये 41.28 लाख का लाभ हुआ था, वहीं वर्ष 2010–11 में यह बढ़ कर रुपये 1006.16 लाख हो गया । इफको एवं सीएसईबी के संयुक्त उपक्रम इफको–छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड द्वारा जिला सरगुजा के ग्राम सलका (प्रेमनगर) में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र के लिए कार्पोरेशन को आबंटित तारा कोल ब्लाक से कोयला प्रदाय किया जायेगा । कार्पोरेशन द्वारा एमईसीएल के माध्यम से जिला रायगढ़ में गारे–पालमा सेक्टर 1 कोल ब्लाक का अन्वेषण किया जा रहा है । बैलाडीला आयरन ओर डिपाजिट 4 एवं 13 हेतु कार्पोरेशन द्वारा एनएमडीसी के साथ संयुक्त उपक्रम गठित किया गया है।

7. खनिज साधन विभाग के बजट में विगत 10 वर्षों में लगभग 43 गुना की वृद्धि ।

वर्ष	आबंटित बजट करोड़ में
2000–01	5.51 (नव. 2000 से मार्च 01 तक)
2003–04	21.64
2007–08	138.68
2008–09	167.22
2010–11	234.66

विभाग के विशेष प्रयास

1. प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रयास

(i) **जीपीएस उपकरण युक्त वाहन** – खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को जीपीएस उपकरण युक्त कराया जायेगा ताकि इन वाहनों के परिचालन (movement) पर सतत् निगरानी रखी जा सके ।

(ii) **मायनिंग टिनामेंट रजिस्ट्री सिस्टम** – राज्य शासन द्वारा खनिज संसाधनों से संबंधित जानकारियों का विभिन्न स्तरों पर प्रभावी एवं दक्षतापूर्वक संप्रेक्षण सुलभ कराने, एक व्यापक एवं एकीकृत सिस्टम निर्माण के उद्देश्य से प्रदेश के पांच जिलों में जीआईएस–वेब इनेबल्ड़ मायनिंग टिनामेंट रजिस्ट्री सिस्टम प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है । उक्त सिस्टम में ग्रामीण खसरा नक्शा (कैडेस्ट्रल मैप) को जियो रिफरेंसिंग किया जाकर, सेटेलाइट ईमेजरीज पर आच्छादित किया जावेगा । खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण एवं मौके पर खनन की वास्तविक स्थिति पर उपग्रह के माध्यम से निगरानी की दृष्टि से यह सिस्टम अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगी । उपलब्ध खनिज संसाधनों के विकास एवं संतुलित दोहन पर निगरानी, जानकारी की सुलभता एवं कार्य में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से विभागीय कार्य का शत–प्रतिशत कम्प्यूट्रीकरण किये जाने की भी कार्यवाही जारी है।

(iii) **बार कोड युक्त ई–ट्राजिट पास** – खनिजों के परिवहन हेतु आवश्यक व्यापक कागजी कार्यवाही को सीमित एवं बेहतर तरीके से प्रमाणित करने के उद्देश्य से बार कोड युक्त ई–ट्राजिट पास जारी किए जाने की योजना है । उक्त ट्राजिंट पास युक्त वाहनों की जांच हेतु प्रदेश में संचालित 45 चेक–पोस्ट को भी कम्प्यूटराइजड़ एवं इंटिग्रेट किये जाने की योजना है ।

(iv) **भण्डारण नियम** – खनन क्षेत्र से बाहर खनिजों से संबंधित व्यवसाय यथा क्रशिंग, ट्रेडिंग, भण्डारण, बेनिफिसियेशन, आदि पर नियंत्रण के उद्देश्य से राज्य द्वारा वर्ष 2009 में भण्डारण नियम अधिसूचित किया गया है । रेल मार्ग से खनिज परिवहन में भी समुचित निगरानी हेतु वर्ष 2010 से रेल्वे ट्रांजिट पास की व्यवस्था लागू की गई है ।

2. **राज्य की आदर्श खनिज नीति** के फलस्वरुप खनिज आधारित उद्योगों में निवेश हेतु काफी बड़ी संख्या में देश के प्रतिष्ठित उद्योग समूहों ने रुचि प्रदर्शित की है । राज्य में उद्योग स्थापना हेतु कुल 121 एमओयू प्रभावशील हैं जिनमें रुपये 1,92,126 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है । राज्य में आज दिनांक तक इन उद्य ोगों में रुपये 24,541 करोड़ का निवेश हो चुका है । निष्पादित 121 एमओयू में से 79 स्पंज आयरन संयंत्र से संबंधित है जबकि 33 प्रस्ताव सीमेंट संयंत्र स्थापना के लिए हैं । खनिज साधन विभाग द्वारा स्पंज आयरन संयंत्र से संबंधित 58 निष्पादनकर्ताओं एवं सीमेंट संयंत्र से संबंधित 32 निष्पादनकर्ताओं को खनिज रियायत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र का 9.2 प्रतिशत प्रत्यक्ष भागीदारी है। वस्तुतः प्रदेश में स्थापित प्रमुख उद्योग खनिज आधारित ही हैं, अतः अप्रत्यक्ष रुप से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में खनन क्षेत्र की भागीदारी और भी ज्यादा है ।